उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –27/2019

बचन यादव वगै0.............................वादीगण।

बनाम्

रामजी यादव वगै0...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

28.08.2025

वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 29.01.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं0 07 त्रिवेनी यादव की मृत्यु दिनांक 01.12.2022 को को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं0 07 त्रिवेनी यादव का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं0 07 के वारीसान जगनारायण यादव का नाम मृत वादी सं0 07 त्रिवेनी यादव के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षांत करने हेतू दफा 05 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। अनुरोध करते है कि आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को माफ करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन पर प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने के लिए कई अवसर दिये गये पर प्रतिवादी के तरफ से कोई प्रति–उत्तर दाखिल नहीं किया गया है अतः प्रतिवादी को प्रति–उत्तर दाखिल करने से वंचित किया जाता है। वादी द्वारा उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है परन्तु बिलम्ब से दाखिल किया गया हैं अतः वादी द्वारा प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधि को दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत मो0 500/– पॉच सौ रूपये के खर्चे पर क्षांत किया जाता है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 29.01.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत वादी सं0 07 त्रिवेनी यादव का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा मृत वादी सं0 07 के वारीसान जगनारायण यादव का नाम मृत वादी सं0 07 त्रिवेनी यादव के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–09.10.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)